न्यायालय अति.जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :— 10/15 दायरा दिनांक 04.08.2015

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी :— श्री हीरालाल वर्मा (आर.ए.एस.)

उनवान

नटी बाई पत्नि मुकेश कुमार जाति मीणा निवासी रामपुरिया तहसील उर्फ लाखाखेडी किशनगंज जिला बारां। — अपीलाण्ट

बनाम

1. मुकेश पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी रामपुरिया उर्फ लाखाखेडी तहसील किशनगंज।
2. सावित्री पुत्री जगन्नाथ जाति मीणा निवासी रामपुरिया उर्फ लाखाखेडी तहसील किशनगंज।
3. हेमलता पुत्री जगन्नाथ जाति मीणा निवासी रामपुरिया उर्फ लाखाखेडी तहसील किशनगंज।
4. महेश (नावालिग) पुत्र राकेश जाति मीणा निवासी रामपुरिया उर्फ लाखाखेडी तहसील किशनगंज।
5. दुर्गेश बेवा राकेश जाति मीणा निवासी रामपुरिया उर्फ लाखाखेडी हाल मुकाम छीनोद तहसील किशनगंज जिला बारां।
6. राजस्थान सरकार जर्ये सहायक वन संरक्षक, बारां जिला बारां राज.।

—रेस्पोडेण्टगण

उपस्थित :—

श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट।

श्री सतीश शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेण्टगण।

अपील विरूद्ध इन्तकाल नम्बर 487 दिनांक 21.01.2015 ग्राम लाखाखेडी निरस्त करने बाबत्।

निर्णय दिनांक 23.07.2019

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील बनाराजगी आदेश दिनांक 21.01.2015 को निरस्त करने बाबत् प्रस्तुत की है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये रेस्पोडेन्ट से रिकार्ड प्रस्तुत करने की तलबी की गई।

ग्राम लाखाखेडी पटवर हल्का दीगोदपार तहसील किशनगंज के माल की आराजी खसरा नम्बर 5 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 8 रकबा 20 बीघा 3 बिस्वा खसरा नम्बर 15/1 रकबा 8 बीघा, खसरा नम्बर 19 रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 48 बरीघा 05 बिस्वा स्थित है। उक्त आराजी के मूल खातेदार जगन्नाथ पुत्र औंकार जाति मीणा निवासी लाखाखेडी थे, उक्त आराजी बाबत् तस्दीक किये गये

इन्तकाल नम्बर 487 दिनांक 21.01.2015 को अपील में आगे विवादित इन्तकाल के नाम से सम्बोधित किया गया है।

उक्त आराजी के मूल खातेदार जगन्नाथ पुत्र औंकार जाति मीणा ने अपने जीवनकाल में विवादित आराजी में निहित स्वय के 1/5 हिस्सा आराजी जो हिन्दू उत्तराधिकार नियम के तहत सहदायगी अनुसार बनता था, की वसीयत अपीलान्ट के पक्ष में करवाकर उप पंजीयन कार्यालय किशनगंज में दिनांक 20.02.2014 को रजिस्टर्ड करवा दी थी, जिसके मुताबिक उपरोक्त 48 बीघा 5 बिस्वा आराजी में जगन्नाथ के फौत होने के बाद 1/5 हिस्सा आराजी का इन्तकाल अपीलान्ट के पक्ष में खोला जाने हेतु अपीलान्ट ने वसीयत की प्रति तहसीलदार किशनगंज के समक्ष प्रस्तुत कर दी थी, किन्तु तहसीलदार किशनगंज राजस्व कर्मचारियों व रेस्पोडेण्टगण द्वारा गुपचुप सांठगांठ कर बिना अपीलान्ट को सुने ही सम्पूर्ण आराजी रेस्पोडेण्टगण के नाम अवैधानिक रूप से इन्तकाल नम्बर 487 दिनांक 21.01.2015 तस्दीक करके दर्ज कर दी। जिसे अपीलान्ट खारिज करवाने की अधिकारिणी है।

विवादित आराजी में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार मृतक वसीयत कर्ता जगन्नाथ का सहदायगी अनुसार 1/5 हिस्सा कानूनी रूप से बनता है, जिसकी वसीयत करवाने का जगन्नाथ को विधि के महत अधिकार था, जिसकी पालना में अपीलान्ट के पक्ष में जगन्नाथ द्वारा रजि0 वसीयत दिनांक 20.02.2014 पंजीबद्ध करवाई गई है। उक्त दस्तावेज के साथ जोडते हुये विधि अनुसार इन्तकाल तस्दीक करना था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कानून का उलंघन कर इन्तकाल तस्दीक करने में भारी भूल की है। अस्तु इन्तकाल नम्बर 487 खारिज होने योग्य है।

अपीलान्ट द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 20.02.2014 तहसीलदार किशनगंज को हल्का पटवारी को प्रस्तुत कर दी गई थी, किन्तु तहसीलदार किशनगंज हिन्दू विधि के तहत वसीयत को समझने में भारी भूल की है। वसीयत की रूह में अपीलान्ट विवादित आराजी में हिन्दू विधि के मान्य प्रावधानों के तहत रेस्पोडेण्टगण के साथ 1/5, 1/5 हिस्सा अनुसार विवादित आराजी प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

इन्तकाल नम्बर 487 दिनांक 21.01.2015 अपीलान्ट के हितो के विरूद्ध रजिस्टर्ड वसीयत के कानूनी प्रावधानों के विपरीत अवैधानिक एवं शून्य है, जो अपीलान्ट के हितो को नुकसान पहुंचाने की गरज से अवैधानिक रूप से नियम विरूद्ध तस्दीक किया गया है, जिससे अपीलान्ट के खातेदारी हक हकूको पर भारी विपरीत प्रभाव पडा है। अपीलान्ट वसीयत द्वारा उसे प्राप्त होने वाली आराजी से महरूम हो गई, अस्तु अपीलान्ट विवादित आराजी के इन्तकाल को निरस्त करवा पाने की अधिकारी है।

अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेण्ट क्रम 6 से रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर इन्तकाल तस्दीक करने हेतु कई बार निवेदन किया किन्तु हर बार हल्का पटवारी एवं रेस्पोडेण्ट क्रम 6 द्वारा प्रार्थीया अपीलान्ट को आश्वासन दिया जाता रहा है, हल्का पटवारी द्वारा अपीलान्ट से दिनांक 01.08.2015 को स्पष्ट रूप से इन्तकाल खोलने से मना कर देने पर अपीलान्ट द्वारा उसी दिन नकल प्राप्त होने पर अपील इन्तकाल की जानकारी से अन्दर मियाद न्यायालय श्रीमान को प्रस्तुत है।

अपीलान्ट ग्राम लाखाखेडी में 48.05 बीघा भूमि कृषक जगन्नाथ पुत्र औकार जाति मीणा के खाते दर्ज थीं इन्तकाल नं. 487 दिनांक 21.01.2015 को स्वीकार हुआ। इससे अप्रसन्न होकर प्रार्थीगण ने अपील पेश की। जगन्नाथ ने अपने जीवनकाल में 1/5 हिस्से की रजिस्टेशन वसीयत दिनांक 20.02.2014 को करवायी थी। जगन्नाथ फौत हुआ तब वसीयत पेश की थी। लेकिन तहसीलदार जी ने वसीयत को इन्कार करते हुये मृतक के वारिसान के नाम तस्दीक कर दिया वसीयत को नहीं माना। जगन्नाथ का सजरा नामान्तरकरण में दे रखा है। दो पुत्र व पुत्रियां सावित्री व हेमलता तथा वेबा सीताबाई पूर्व में फौत हो गये। पुत्र राकेश भी पूर्व में ही फौत हो गया था इसके वारिस पुत्र महेश व वेबा दुर्गेश है। यह आराजी 48.05 बिस्वा भूमि इसके पिता से प्राप्त हुई जो सत्य है, पुस्तैनी सम्मलित है। जगन्नाथ ने अपने जीवनकाल में जो वसीयत की उसके सभी पुत्र पुत्रियों का 1 हिस्सा छोडकर स्वयं को जो 1/5 हिस्सा बनता है उसकी वसीयत अपनी पुत्रवधु नटीबाई के नाम कराई है राजगैह जगन्नाथ पढा लिखा था। कोई भी व्यक्ति अपने सहदायगी हिस्से की वसीयत कर सकता है। पूरी जमीन की नहीं कर सकता लेकिन पुत्र पुत्रियों का हिस्सा निकाल कर अपने हिस्सा की वसीयत कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत को नामा0 करवाकर भूल की है। वसीयत के सम्बन्ध में धारा 30 है धारा 30 में यह कहा गया है कि सहदायगी में उसकी मृत्यु के बाद उसका 1 हिस्सा की वसीयत कह है तो 1 हिस्सा निश्चित हो जाता है। धारा 30 के उस पर सहदायगी भी भी वसीयत कर सकता है। हिस्सा 1/5 की वसीयत के उपर अपीलान्ट के नाम दर्ज हो अतः नाम 487 की अपील स्वीकार कर वसीयत के उपर के हिस्सा 1/5 कर इन्तकाल अपील के नाम दर्ज करके आदेश फरमावें।

रेस्पोडेन्ट के प्रथम आक्षेप यह है कि अपीलान्ट ओक्यूपाईट का है। तहसीलदार द्वारा विधिवत सुनवाई कर निर्णय पारित किया निर्णय के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। अपील संभागीय आयुक्त महोदय, के होनी चाहिए थी/क्षेत्रीय नहीं। अपीलान्ट, रेस्पोडेन्ट की जाति मीणा है। आदिवासी जाति के लिए हिन्दु उत्तराधिकार आदि नियम लागू नहीं होता है, अपील पूर्णतः अवैध है। अतः तहसीलदार के निर्णय से आपत्ति थी तो श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय को अपील पेश करनी चाहिए थी। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

बहस उभय पक्ष सुनने, पत्रावली व नामान्तरकरण का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के पक्ष में भूमि 48.05 बिस्वा के हिस्सा 1/5 जगन्नाथ पुत्र ओंकार जाति मीणा निवासी लाखाखेडी उर्फ रामपुरिया तहसील किशनगंज द्वारा वसीयत की थी जो दिनांक 20.02.2014 को उप पंजीयन किशनगंज द्वारा रजिस्टर्ड की गई। रेस्पोडेण्ट का कथन कि तहसीलदार द्वारा पक्षकारान को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित किया गया, निर्णय के आधार के पर नामान्तरकरण तस्दीक किया गया। अतः निर्णय की अपील श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय, के न्यायालय को होनी चाहिए थी। पत्रावली व नामान्तरकरण को अवलोकन से कहीं भी तहसीलदार द्वारा सुनवाई किया जाना निर्णय पारित किया जाना नहीं पाया गया, रेस्पोडेण्ट द्वारा भी निर्णय की प्रति प्रस्तुत नहीं की। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा बिना विधिवत सुनवाई किये बिना कोई निर्णय पारित किये नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना पाया जाता है। चूंकि तहसीलदार द्वारा विधिवत सुनवाई निर्णय पारित किये

बिना सामान्य रूप से पटवारी द्वारा नामान्तरकरण में अंकित सजरे के अनुसार वारिसान के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया है। अपीलान्ट को वसीयत के सम्बन्ध में सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है। अतः अपील श्रवणाधिकार इस न्यायालय का है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है, अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 487 दिनांक 21.01.2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दोनों पक्षों को विधिवत सुना जाकर निम्नानुसार निर्णय प्रति कर नामान्तरकरण पुनः खोला जाकर तस्दीक किया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर मजमे आम सुनाया गया ।

(हीरालाल वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)